

आयुवतालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (104)आकाशि / नि.सं./2017 / 1376

दिनांक:-

28/3/2018

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 से 2020–2021 (तीन सत्र) तक स्नातक रत्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है—

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक	विश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
राजस्थान किसान छात्रावास ट्रस्ट, कान्ती चन्द रोड, बनोपार्क, जयपुर।	किसान विधि महाविद्यालय, कान्ती चन्द रोड, बनोपार्क, जयपुर।	स्नातक सत्र पर विधि-पंचवर्षीय पाठ्यक्रम।	राजस्थान किसान विधि महाविद्यालय, बनोपार्क, जयपुर।	

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त प्रत्यक्ष सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
- संस्था सत्र 2021–22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभियुद्धि हेतु आवेदन करेंगी।
- संस्था किसान के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में सातदण्डानुसार संवय की भूमि पर रखने के भवन का निमणि पूर्ण करेंगी।
- संस्था द्वारा सावधि जागा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेंगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से ग्रान्तवता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयालय एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कौलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेंगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेंगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2018–19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सारिखी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाओं भरकर आयुक्तालय को भेजेंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्तालय द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाओं भरकर आयुक्तालय को भेजेंगी।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- विशिष्ट साधिय, गाँव उच्च शिक्षा गंती महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी साधिय, अतिरिक्त मुख्य साधिय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कौलेज, राजस्थान, जयपुर।
 - कुल साधित संस्था / महाविद्यालय, जयपुर।
 - साधित संस्था / महाविद्यालय।
 - राजस्थानी शरण्या, आयुक्तालय, कौलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - एक्सिरा पत्रावली।

१९८८